

अध्याय VI

नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

6.1 प्रस्तावना

हमने सेवा कर के भुगतान से सम्बन्धित निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की जांच की और कर भुगतान तथा सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की सत्यता की जांच की। हमने ₹ 128.25 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेनवेट क्रेडिट के अनियमित प्राप्त करने और लाभ लेने, सेवा कर के गैर/कम भुगतान आदि के मामले देखे। हमने 80 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 127.33 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 78 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) जिनमें से ₹ 26.93 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। उपर्युक्त 78 पैराओं में से 73 पैराओं में मंत्रालय/विभाग ने ₹ 108.21 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सुधार कार्रवाई आरम्भ कर दी/पूर्ण कर ली। हमने परिशिष्ट II में इन पैराग्राफों के ब्यौरे भेजे हैं। आपत्तियां चार प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत शामिल की गई हैं:

सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर का कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट

ब्याज का भुगतान न करना

6.2 सेवा कर का भुगतान न करना

6.2.1 दूर आपरेटर सेवा के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2007 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2006 कुछ शर्तों के अध्यक्षीन पैकेज दूर की सेवाओं और आवास आरक्षण के सम्बन्ध में प्रभारित सकल राशि के क्रमशः 75 तथा 90 प्रतिशत का उपशमन अनुमत करने के द्वारा आपरेटर सेवाओं को छूट निर्धारित करती हैं। यह अधिसूचना लागू नहीं है जब इनपुट अथवा पूंजीगत माल पर शुल्क

का सेनवेट क्रेडिट अथवा ऐसी कर योग्य सेवाओं को देने के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अन्तर्गत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया है।

मुम्बई एसटी। कमिश्नरी में व्यस्त मै. ट्रेड विंग्स लिमिटेड ने दूर आपरेटर सेवाओं के कारण अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2007 के अन्तर्गत छूट का दावा का कर उपशमित मूल्य पर सेवा कर भुगतान कर रहा था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने सेवाओं के निर्यात के रूप में दावा 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 95.65 लाख और ₹ 4.63 करोड़ राशि की निर्गामी दूर सेवाओं के प्रति भारतीय मुद्रा में प्राप्त कमीशन की सकल राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। चूंकि कमीशन राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए लेखापरीक्षा दावा करता है कि दी गई सेवाओं के निर्यात के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा निर्धारिती ने इनपुट सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया था और उसका उपयोग किया था जिससे ऊपर कथित अधिसूचना में अनतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। निर्धारिती 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः ₹ 66.19 लाख तथा ₹ 3.71 करोड़ के प्राप्त (खरीदी गई विदेशी मुद्रा को छोड़कर) कमीशन के निवल प्रतिफल पर ₹ 45 लाख का सेवा कर भुगतान करने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2012) तब कमिश्नरी ने अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 में ₹ 4.57 लाख के ब्याज तथा शास्ति के साथ ₹ 7.65 लाख के सेवा कर की वसूली की सूचना दी। यह प्रतिफल में उपशमन लेने के बाद था। इसके अलावा कमिश्नरी ने सूचित किया कि निर्धारिती ने 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 1.31 लाख तथा ₹ 3.71 लाख की इनपुट सेवाओं पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट उलट दिया था। इस प्रकार लेखापरीक्षा के कहने पर कुल ₹ 17.24 लाख की वसूली की गई थी। इसके अलावा लेखापरीक्षा तर्क कि निर्धारिती उपशमन का पात्र नहीं था और पूर्ण दर पर सेवा कर भुगतान करने का दायी था, पर कमिश्नरी ने 2009-10 तथा 2010-11 वित्तीय वर्षों के लिए निर्गामी दूर सेवाओं के प्रति क्रमशः ₹ 95.65 लाख तथा ₹ 4.63 करोड़ राशि के प्राप्त कमीशन के सकल मूल्य पर

₹ 57.59 लाख के सेवा कर की मांग कर कारण बताओं नोटिस जारी किया (फरवरी 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.2.2 कार्य ठेका सेवा

वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय की धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडए) (i) तथा (ii) (ग) कार्य ठेका को ठेका के रूप में परिभाषित करती हैं जिसमें ऐसे ठेका के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त वस्तुओं का हस्तांतरण वस्तुओं की बिक्री के रूप में कर को दायी हैं ऐसा ठेका एक नए आवसीय परिसर अथवा उसके भाग के निर्माण करने के लिए हैं। अधिनियम की धारा 65(91ए) के अनुसार आवसीय परिसर का अर्थ एक परिसर में स्थित बारह आवसीय यूनिटों से अधिक वाले भवन अथवा भवनों, एक सामूहिक क्षेत्र और किसी एक अथवा अधिक सेवाओं जैसे पार्क लिफ्ट पार्किंग स्थान कम्यूनिटी हाल सामूहिक जल आपूर्ति बहिःस्राव संसाधन प्रणाली से बने किसी परिसर से हैं।

बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 के पैरा सं. 3 के द्वारा स्पष्ट किया कि जब प्रवर्तकों/निर्माण कर्ताओं/विकास कर्ताओं तथा अन्तिम स्वामी के बीच आरम्भिक अनुबंध "बिक्री अनुबंध" की प्रकृति में हैं और ऐसे बिक्री पत्रक के निष्पादन तक आवासीय परिसर के निर्माण के संबंध में ऐसे विक्रेता द्वारा दी गई कोई सेवा स्वसेवा की प्रकृति में होगी और परिणामतः सेवा कर लगेगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 65(105) (जेडजेडएच) के अन्तर्गत 1 जुलाई 2010 से अन्तर्विष्ट व्याख्या के अनुसार, इस खण्ड के प्रयोजनों हेतु किसी परिसर, को निर्माण से पूर्व, के दौरान अथवा के बाद (उस समय पर लागू किसी विधि के अन्तर्गत ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र देने से पूर्व निर्माता द्वारा सम्भावित क्रेता से अथवा उसकी बाबत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई हैं, के मामलों को छोड़कर) निर्माता द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बिक्री के लिए अपेक्षित हैं, के निर्माण को निर्माता द्वारा क्रेता को दी गई सेवा होना माना जाएगा।

कालीकट कमिश्नरी में कार्य ठेका देने वाला एक सेवा कर निर्धारिती में. चतमकुलम प्रोजेक्टस एण्ड डबलपर्स प्रा. लिमिटेड ने बोर्ड के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 के आधार पर सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए 'शून्य' विवरणियां दाखिल की। निर्धारिती ने कमिश्नरी को सूचित किया कि वे कोई कर योग्य सेवा नहीं दे रहे थे क्योंकि वे ग्राहकों के स्व अधिभोग के लिए केवल स्वतन्त्र मकानों का निर्माण कर रहे थे। निर्धारिती ने पंजीकरण अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन किया और विभाग द्वारा अभ्यर्पण अनुमत किया गया था। निर्धारिती ने 8 अगस्त 2011 को "परिसर सेवाओं का निर्माण" के अन्तर्गत दोबारा सेवा कर पंजीकरण लिया और सेवा कर भुगतान आरम्भ कर दिया।

वाणिज्यिक कर विभाग, पलक्कड़ के साथ निर्धारिती के वैट अभिलेखों के प्रति सत्यापन ने दर्शाया कि उन्होंने 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 2.81 करोड़ तथा ₹ 6.65 करोड़ के पण्यावर्त के लिए 3 प्रतिशत की मिश्रित दर पर कार्य ठेका कर अदा किया हैं। फार्म 108 में वैट की वार्षिक विवरणी तथा वेबसाईट में दिए गए विज्ञापनों के अनुसार निर्धारिती ने सामूहिक सुविधाओं, जैसे सुरक्षा कार्मिक, मनोरंजन/स्वास्थ्य क्लब, खेल क्षेत्र बगीचा आदि वाले विभिन्न फ्लैटों तथा विला परियोजनाएं पूर्ण की। निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र के अनुसार मकानों तथा फ्लैटों के निर्माण के लिए क्रमशः ₹ 92.52 लाख तथा ₹ 15.71 लाख की अग्रिम राशियां भी प्राप्त की। चूंकि बोर्ड का परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 आवासीय परिसर सेवा का निर्माण देने में लगे निर्माताओं को सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में था और कार्य ठेका सेवा से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं था इसलिए निर्धारिती 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के दौरान दी गई कार्य ठेका सेवाओं के लिए सेवा कर भुगतान करने की दायी था। तथापि निर्धारिती 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के लिए ₹ 39.04 लाख (वैट विवरणी में दर्शायी गई सकल आय के आधार पर) का सेवा कर भुगतान नहीं किया, सितम्बर 2010 तक शून्य विवरणी दाखिल की और तब पंजीकरण अभ्यर्पित किया। पंजीकरण का अभ्यर्पण मंजूर करने से पूर्व कमिश्नरी निर्धारिती द्वारा दी गई सेवा की कर देयता सुनिश्चित

करने में विफल हो गया जैसा सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4(7) तथा (8) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अक्टूबर 2011) तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2012, अगस्त 2013 तथा मार्च 2014) कि ये ठेके आवसीय यूनिटों, जिनका स्वामित्व पहले ही ग्राहकों/सेवा प्राप्तकर्ता के पास था, के निर्माण के लिए अलग अलग निर्माण ठेकों के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा निर्मित किए गए थे और स्वयं ग्राहकों ने अपने नामों में बिल्डिंग परमिट प्राप्त किए थे। यह भी बताया गया था कि परिसरों के अन्दर सामूहिक क्षेत्र अथवा सामूहिक सुविधाएँ नहीं थीं उस रूप में निर्धारिती का कार्यकलाप “आवसीय परिसर सेवा का निर्माण” की कर योग्य सेवा की परिधि में नहीं आता था। कमिश्नरी ने आगे बताया कि निर्धारिती बोर्ड के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 के बल पर सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए ‘शून्य’ एसटी 3 विवरणी दाखिल की थी। यह भी उत्तर दिया गया था कि उन मामलों में भी जहाँ कार्य ठेका के अन्तर्गत वैट देय था वहाँ सेवा केवल तभी करयोग्य होगी यदि यह “आवसीय परिसर सेवा के निर्माण” की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो। कमिश्नरी ने यह भी बताया कि निर्धारिती को ₹ 39.04 लाख की राशि के सेवा कर की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 अक्टूबर 2013 जारी किया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कार्य ठेका के अन्तर्गत आवसीय यूनिटों का निर्माण वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडए) के खण्ड (ग) के बल पर कार्य ठेका सेवाओं के अन्तर्गत सेवा कर आकर्षित करता है। एडवांस रूलिंग अथारिटी द्वारा हरे कृष्ण डवलपर्स के मामले में जारी एडवांस रूलिंग दिनांक 7 अप्रैल 2008 के अनुसार “जब सब प्लॉट का क्रेता कार्य ठेका करता है तब ऐसा ठेका एक अलग घर के निर्माण के लिए नहीं है परन्तु एक जो आवसीय परिसर द्वारा दी गई सभी सुविधाओं जैसे क्लब हाऊस आदि क्रेता को उपलब्ध होगा। इसलिए कार्य ठेका के माध्यम से निर्मित अकेले घर की अपेक्षा अलग-अलग घर आवासीय परिसर के एक भाग के रूप में देखा जाना है। इस प्रकार धारा 65(105) के (जेडजेडजेडजेडए) के खण्ड (ग) में आने वाली “अथवा उस का एक भाग” अभिव्यक्ति सच्चाई से लागू

होती हैं। इसके अलावा निर्धारिती द्वारा किए गए विज्ञापनों के अनुसार वे अपने ग्राहकों को सामूहिक सुविधाएं जैसे पार्किंग, खेल क्षेत्र, बगीचा, सुरक्षा आदि दे रहे थे और इसके अलावा भूमि के बिक्री पत्र के अनुसार निर्धारिती के नाम में सामूहिक सड़क के उपयोग के अधिकार का प्रावधान था। इसके अलावा निर्धारिती ने क्रेताओं से नेमी अनुरक्षण के खर्चे पूरे करने के लिए समग्र निधि भी संग्रहीत की और बिक्री पत्र दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार निर्माता ने मिट्टी से सम्पत्ति को भरने के लिए राजस्व मण्डल अधिकारी से अनुमति प्राप्त की और पंचायत से विल्डिंग परिमिट प्राप्त किया। इसके अलावा बोर्ड का परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 आवासीय परिसर सेवा के निर्माण देने में लगे निर्माताओं को सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में था और कार्य ठेका सेवा के बारे में किसी प्रकार नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.2.3 प्रबन्धन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवा

प्रबन्धन अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवा (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) का अर्थ ठेका अथवा अनुबन्ध के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अथवा विनिर्माता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्पत्तियों चाहे चल अथवा नहीं के प्रबन्धन के समबन्ध में, सम्पत्तियों चाहे चल अथवा नहीं का अनुरक्षण अथवा मरम्मत, अथवा सुधार करने अथवा पुररूद्धार सहित अनुरक्षण अथवा मरम्मत अथवा मोटर वाहन को छोड़कर किन्हीं वस्तुओं की सर्विसिंग देने के किसी सेवा से हैं।

मुम्बई II कमिश्नरी में अनुरक्षण तथा मरम्मत की सेवाएं देने में लगे मै. ग्रेडर एण्ड पील (इंण्डिया) लिमि. से पता चला कि निर्धारिती के विशाल ठेकों के अनुरक्षण तथा मरम्मत, जंग आदि से बचाने के लिए ठेकों की पेंटिंग से सम्बन्धित कार्यों पर अपने उप ठेकेदारों के माध्यम से मै. एचपीसीएल को सेवाएं प्रदान की। एसटी-3 विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2009-10 तक की अवधि के लिए अनुरक्षण तथा मरम्मत श्रेणी के अन्तर्गत ऐसी सेवाओं के प्रति सेवा कर देयता का निर्वाह किया था। तथापि, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिए निर्धारिती ने ₹ 2.39 करोड़ की मै. एचपीसीएल को दी गई सेवाओं के मूल्य पर देय

₹ 24.65 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जून 2011) तब निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से ₹ 24.65 लाख की राशि का भुगतान कर दिया और ₹ 0.68 लाख (जून 2011) का ब्याज भुगतान कर दिया। तथापि देय ब्याज ₹ 2.89 लाख बना और इस प्रकार ₹ 2.21 लाख के ब्याज का कम भुगतान वसूली योग्य था।

कमिश्नरी ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि मामला आगे की कार्रवाई के लिए सेवा कर ॥ मुम्बई कमिश्नरी को भेजा गया था। आगे उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.3 सेवा कर का कम भुगतान

6.3.1 सेवा के आयात के अधीन सेवा कर

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 7 के साथ पठित सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6(1) की व्याख्या अनुबंध करती हैं कि जहाँ तक सयुक्त उद्यम का सम्बन्ध हैं, सेवा कर ऐसे कर के दायी व्यक्ति से उदग्राह्य हैं चाहे राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हैं परन्तु यह सेवा प्रदाता की लेखा बहियों में डेबिट अथवा क्रेडिट की गई हैं। कर योग्य सेवा के प्रति प्राप्त कोई राशि किसी लेखा चाहे सेवा प्रदाता की लेखा बहियों में उचन्त लेखा अथवा अन्य नाम कहा जाए को डेबिट अथवा क्रेडिट कोई भुगतान शामिल होगा।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. इमरसन कलइमेंट टेकनालजीज़ (इण्डिया) लिमि. कारबार सहायता सेवाएं, अमूर्त वस्तु सेवाओं की अपूर्ति, कारबार सहायक सेवाएं आदि देने में लगा था। एसटी-3 विवरणी के सामने वित्तीय अभिलेखों के मिलान सहित विस्तृत संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि निर्धारिती ने 2009-10 से 2010-11 तक की अविधि के दौरान ₹ 26.38 करोड़ के एजेंसी कमीशन परामर्श तथा अन्य सेवा प्रभार, डिजाइन तथा सलाहकार प्रभार आदि के प्रति विदेशी मुद्रा में विशाल व्यय किया था। तथापि विभिन्न श्रेणियों यथा तकनीकी निरीक्षण, बीएस आदि के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता के रूप से सेवा

कर के भुगतान के लिए कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप से केवल ₹ 11.74 करोड़ की राशि ली गई थी। चूंकि ये लेन देन संयुक्त उद्यमों के साथ थे इसलिए सकल राशि, जब और जैसे यह ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत लेखाबहियों में प्रतिबिम्बित की गई हैं, पर सेवा कर देय हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2013) तब कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (फरवरी 2014) कि 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के लिए ₹ 1.56 करोड़ का एससीएन जारी किया जा रहा है। कमिश्नरी ने यह भी सूचित किया (मई 2014) कि सेवा कर के विलम्बित भुगतान के प्रति ₹ 21.42 लाख की राशि वसूल की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.4 सेनवेट क्रेडिट

6.4.1 अपात्र बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 का नियम 7 परिकल्पना करता है कि इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) शर्त कि एक से अधिक यूनिटों में प्रयुक्त सेवा को आरोप्य सेवा कर का क्रेडिट सभी यूनिटों जिनसे सेवा उसी अवधि के दौरान सम्बन्ध रखती है, के पण्यावर्त की कुल राशि को सम्बन्धित यूनिट की सुसंगत अवधि के दौरान पण्यावर्त के आधार पर आनुपातिक वितरित किया जाएगा, के अध्यक्षीन अपनी विनिर्माण यूनिटों अथवा आउटपुट सेवाएं देने वाली यूनिटों को इनपुट सेवा पर प्रदत्त सेवा कर के संबंध में सेनवेट क्रेडिट वितरित कर सकता है।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. रीटर इण्डिया प्रा. लि. उत्थापन, प्रतिष्ठापन तथा संस्थापन, वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग, कारबार सहायक सेवाएं आदि देने में लगा है और कोयम्बटूर में सेवा कर भुगतान के लिए केन्द्रीयकृत पंजीकरण रखता था। निर्धारिती ने बीजकों जो कोरेगावँ पूणे स्थित अपनी अन्य यूनिट को जारी किए थे, के आधार पर इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। यह देखा गया था कि न तो पूणे यूनिट आईएसडी के रूप से

पंजीकृत थी और न ही कोयम्बदूर स्थित मुख्यालय यूनिट द्वारा सेनवेट क्रेडिट के वितरण हेतु निर्धारितप्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2012 से जनवरी 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 1.77 करोड़ की राशि के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लिया जाना हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2013) तक कमिश्नरी ने बताया (जून 2014) कि पैराग्राफ स्वीकार्य प्रतीत होता है और ब्याज तथा शास्ति के साथ ₹ 4.77 करोड़ की राशि का नवम्बर 2012 से अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट की अस्वीकृति का प्रस्ताव करने वाला मसौदा कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.5 ब्याज का भुगतान न करना

6.5.1 पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का गलत लिया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के अनुसार किसी भी समय एक वित्त वर्ष में एक फैक्ट्री में प्राप्त पूंजीगत माल या आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर में सेनवेट क्रेडिट केवल उसी राशि के लिए लिया जा सकता है जो उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूंजीगत माल पर दत्त शुल्क की 50 प्रतिशत से अधिक न हो सेनवेट क्रेडिट का बकाय उस वित्तीय वर्ष में जिसमें पूंजीगतमाल प्राप्त किया गया था उसके अनुवर्ती किसी वित्तीय वर्ष में लिया जा सकता है।

नोएडा आयुक्तालय में मै. डिश टीवी इंडिया लि. नोएडा के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया (सितम्बर 2011) कि निर्धारिती ने 2008-09 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान उपरोक्त नियम 4(2) के अनुसार 50 प्रतिशत की अनुग्रहता के प्रति पूंजीगत माल जैसा सेट टॉप बॉक्स पर 100 प्रतिशत डिश ऐंटिना एलएनबी विसुईंग कार्ड, आरसीए केबल्स इत्यादि पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 तक ₹ 89.87 करोड़ तक के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ दिया जिस पर निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 14 के अनुसार ₹ 11.68 करोड़ की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2012), कमिश्नरी ने बताया (जुलाई 2013) कि मार्च 2013 के दौरान अक्टूबर 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए ₹ 12.29 करोड़ की ब्याज राशि की मांग के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.5.2 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 प्रावधान करती हैं कि धारा 68 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति, जो निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को कर अथवा उसके किसी भाग को क्रेडिट करने में विफल होता है, दस प्रतिशत से कम नहीं और 36 प्रतिशत से अधिक नहीं, प्रतिवर्ष की ऐसी दर पर सामान्य ब्याज का भुगतान करेगा, जैसी केन्द्र सरकार द्वारा उस समय पर निर्धारित की जाती है जिससे कर अथवा उसके भाग का ऐसा क्रेडिट करना विलम्बित है।

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3 अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि जहाँ बीजक सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4 क में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जारी नहीं किया जाता है वहाँ कराधान का बिन्दु सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होगा। नियम 3 भी प्रावधान करता है कि सेवा की आपूर्ति जारी रहने के मामलों में जहां सम्पूर्ण सेवा अथवा भाग का प्रावधान ठेका जो सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करने के लिए सेवा प्राप्त कर्ता से अपेक्षा करता है, शर्तों में घटना के समापन पर आवधिक रूप से निर्धारित किया जाता है वहाँ प्रत्येक ऐसी घटना के समापन की तारीख, जैसा ठेकामें निर्दिष्ट किया जाए, सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होना माना जाएगा।

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 4 क प्रावधान करता है कि करयोग्य देने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कर योग्य सेवा के समापन अथवा ऐसी कर योग्य सेवा के मूल्य के प्रति किसी भुगतान का प्राप्ति, जो भी पहले हो, की तारीख से तीस दिनों के अन्दर दी गई अथवा दिए जाने को सहमत कर योग्य

सेवा के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक बीजक, एक बिल जैसा भी मामला हो, चालान जारी करेगा।

नियम यह भी प्रावधान करता है कि सेवा की आपूर्ति जारी रहने के मामले में ऐसी कर योग्य सेवा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति तारीख, जब ठेका में निर्दिष्ट प्रत्येक घटना, जो सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करने के लिए सेवा प्राप्त कर्ता से अपेक्षा करती है, के तीस दिनों के अन्दर बीजक, बिल अथवा चालान जैसा भी मामला हो, जारी करेगा।

जयपुर। कमिश्नरी में एक दूरसंचार सेवा प्रदाता (सेवा कर निर्धारिती) ने अप्रैल 2011 तथा सितम्बर 2012 की बीच अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एसएमएस टर्मिनेशन (रोमिंग) से सम्बन्धित इंटरकनेक्ट यूसेज प्रभार सेवाएं दी थीं जिन पर दूरसंचार प्रचालकों के बीच कुछ विवाद होने के कारण “बिल एण्ड कीप” मोड के अन्तर्गत बिल तैयार करने को स्थगित रखा गया था। निर्धारिती को बाद में 30 अगस्त 2012 को टीडीएसएटी से अनुकूल निर्णय प्राप्त हुआ। चूंकि अन्य पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने को चुना इसलिए अन्य पार्टी को कोई अन्तरिम राहत अस्वीकार कर अक्टूबर 2012 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पारित करने तक बीजक जारी करना विलम्बित हुआ था। निर्धारिती ने इस चरण पर बीजक जारी किए और दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 के दौरान एसएमएस पर इंटरकनेक्ट यूसेज प्रभारों (आईयूसी) पर सेवा कर जमा किया। प्रदत्त सेवा कर राशि अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 2.35 करोड़ थी।

हमने देखा कि चूंकि दी गई सेवा कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 2(ग) के अन्तर्गत सेवा की लगातार आपूर्ति थी इसलिए कराधान का बिन्दु नियम 3 (नियम 6 में समान प्रावधान 1 अप्रैल 2012 से पूर्व की अवधि कवर करता है) के अनुसार निर्धारित किया जाना था।

तारीख, जब प्रत्येक घटना अर्थात् बिलिंग अवधि के लिए एसएमएस टर्मिनेशन से सम्बन्धित इंटरकनेक्ट यूसेज की सेवा का प्रावधान पूर्ण हुआ था, से 30 दिनों के अन्दर बीजक जारी किए गए थे यद्यपि सेवा कर नियमावली 1994 के

नियम 4 के द्वारा अपेक्षा की गई। इसलिए कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 3 के अनुसार “कराधान का बिन्दु” सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होगा जो इस मामले में परन्तुक द्वारा प्रत्येक बिलिंग अवधि (मासिक/द्विमासिक आदि) से सम्बन्धित सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होगा। इसलिए वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निर्धारित ₹ 35 लाख के ब्याज भुगतान करने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि पूर्व 1 जुलाई 2011 की अवधि के लिए कराधान का बिन्दु उत्पन्न नहीं होता था क्योंकि समापन की तारीख अथवा बीजक जारी करना, जो भी पहले था, कराधान बिन्दु का निर्धारण करेगा। कमिश्नरी ने यह भी बताया कि सेवा प्राप्तकर्ता से कोई राशि संग्रहीत नहीं की गई थी।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 6 (अथवा नियम 3) के अनुसार प्रत्येक बिलिंग अवधि से सम्बन्धित आईयूसी सेवाओं के प्रावधान के समापन पर सेवाओं की निरन्तर आपूर्ति (जहाँ कोई बीजक जारी नहीं किया गया था) के मामले में सेवा कर देयता उत्पन्न होगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।